DM
21/12/2020

राजस्थान सरकार जरिये ई–मेल अतिआवश्यक
Government of Rajasthan
निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान
DIRECTORATE OF MINES & GEOLOGY,
खनिज भवन/Khanij Bhavan उदयपुर/Udaipur-313001
दूरभाष/Phones: 2415091-95 फैक्स/Fax: (0294) 2410526

2

क्रमांकः निदे/अनिखा/वन/डाय–बंशीपहाडपुर–बंध बारेठा/भरत/2020/2253 दिनांकः 10.12.2020

सहायक खनि अभियन्ता,
रूपवास।

विषय :– बंशी पहाडपुर वन क्षेत्र, तहसील रूपवास, जिला भरतपुर क्षेत्र को बंध–बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र में से डी–नोटिफाईड करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, भरतपुर का पत्र कमांक अखअ/भरत/विविध(रूप.)/2020/1264 दिनांक 19.11.2020 एवं आपके कार्यालय का पत्र कमांक सखअ/रूप/भरत/मानचित्र/डायवर्जन/2020/615 दिनांक 12.11.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत शासन निर्देशानुसार बंशीपहाडपुर वन क्षेत्र तहसील रूपवास जिला भरतपुर क्षेत्र में बंशीपहाडपुर क्षेत्र का 646.56 हैक्टर वन क्षेत्र एवं ईको–सेन्सेटिव जोन को डी–नोटिफाईड करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के Diversion एवं वन्यजीव प्रोटेक्शन अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत Wildlife Clearance करने हेतु वन विभाग के पोर्टल "परिवेश" (https://parivesh.nic.in) पर आवेदन करने बाबत, जिला कलक्टर भरतपुर, वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों का पूर्ण सहयोग लिया जाकर नियमानुसार विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव ऑनलाइन प्रस्तुत करने की कार्यवाही करें तथा इससे सम्बन्धित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने हेतु निर्धारित प्रपत्र संलग्न कर प्रेषित है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,
10-12-20
(एम.पी. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (खान)
(पर्यावरण एवं विकास)

क्रमांकः निदे/अनिखा/वन/डाय–बंशीपहाडपुर–बंध बारेठा/भरत/2020/ दिनांक .12.2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. संयुक्त शासन सचिव, खान (ग्रुप–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, भरतपुर को संयुक्त शासन सचिव, खान (ग्रुप–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के पत्र दिनांक 27.10.2020 के कम में।
3. अधीक्षण खनि अभियन्ता, भरतपुर को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में।

651
24/12/2020

सत्यापित प्रति

(एम.पी. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (खान)
(पर्यावरण एवं विकास)